कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 9

कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	571.64	...	571.64	534.88	...	534.88	644.09	...	644.09	393.24	...	393.24
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**571.64**	**...**	**571.64**	**534.88**	**...**	**534.88**	**644.09**	**...**	**644.09**	**393.24**	**...**	**393.24**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	25.85	...	25.85	35.74	...	35.74	35.74	...	35.74	39.09	...	39.09
2. सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	19.09	...	19.09	25.96	...	25.96	26.71	...	26.71	26.65	...	26.65
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**44.94**	**...**	**44.94**	**61.70**	**...**	**61.70**	**62.45**	**...**	**62.45**	**65.74**	**...**	**65.74**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
कोयला और लिग्नाइट												
3. अनुसंधान और विकास	9.97	...	9.97	18.00	...	18.00	11.50	...	11.50	10.00	...	10.00
4. कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	50.99	...	50.99	71.98	...	71.98	70.48	...	70.48	54.54	...	54.54
5. कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण	443.39	...	443.39	330.00	...	330.00	470.05	...	470.05	250.00	...	250.00
जोड़-कोयला और लिग्नाइट	**504.35**	**...**	**504.35**	**419.98**	**...**	**419.98**	**552.03**	**...**	**552.03**	**314.54**	**...**	**314.54**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**504.35**	**...**	**504.35**	**419.98**	**...**	**419.98**	**552.03**	**...**	**552.03**	**314.54**	**...**	**314.54**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. कोयला खान पेंशन स्कीम	22.35	...	22.35	53.20	...	53.20	29.61	...	29.61	12.96	...	12.96
कुल जोड़	***571.64***	***...***	***571.64***	***534.88***	***...***	***534.88***	***644.09***	***...***	***644.09***	***393.24***	***...***	***393.24***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	22.35	...	22.35	53.20	...	53.20	29.61	...	29.61	12.96	...	12.96
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**22.35**	**...**	**22.35**	**53.20**	**...**	**53.20**	**29.61**	**...**	**29.61**	**12.96**	**...**	**12.96**
आर्थिक सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. कोयला और लिग्नाइट	523.44	...	523.44	403.94	...	403.94	523.54	...	523.54	309.74	...	309.74
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	25.85	...	25.85	35.74	...	35.74	35.74	...	35.74	39.09	...	39.09
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**549.29**	**...**	**549.29**	**439.68**	**...**	**439.68**	**559.28**	**...**	**559.28**	**348.83**	**...**	**348.83**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	42.00	...	42.00	55.20	...	55.20	31.45	...	31.45
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**42.00**	**...**	**42.00**	**55.20**	**...**	**55.20**	**31.45**	**...**	**31.45**
कुल जोड़	**571.64**	**...**	**571.64**	**534.88**	**...**	**534.88**	**644.09**	**...**	**644.09**	**393.24**	**...**	**393.24**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड	...	2881.04	2881.04	...	2061.00	2061.00	...	2061.00	2061.00	...	2920.00	2920.00
2. कोल इंडिया लिमिटेड	...	13283.83	13283.83	...	14685.00	14685.00	...	14685.00	14685.00	...	16500.00	16500.00
3. सिंगरेनी कॉलरीज़ कंपनी लिमिटेड	...	1310.08	1310.08	...	2500.00	2500.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00
जोड़	**...**	**17474.95**	**17474.95**	**...**	**19246.00**	**19246.00**	**...**	**18746.00**	**18746.00**	**...**	**21420.00**	**21420.00**

1. **सचिवालय:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय:** यह प्रावधान मनोनित प्राधिकार एवं कोयला नियंत्रण संगठन से संबंधित स्थापना व्यय के लिए है।

3. **अनुसंधान और विकास:** कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान है। मुख्य जोर कोयला खदानों में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।

4. **कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** यह प्रावधान सुरक्षा कार्यों और सुरक्षा सुधार के माध्यम से कोयले के संरक्षण के लिए है। इसमें कोलफील्ड क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन अवसंरचना का विकास भी शामिल है और कोलफील्ड क्षेत्रों में भूमि सुधार और धसांव नियंत्रण सहित पर्यावरण संरक्षण उपाय करने का प्रावधान है।

5. **कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले की उपलब्धता का आकलन करने हेतु आरंभिक ड्रिलिंग करने के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए भी प्रावधान है जिसमें कि सृजित की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन कोयला की तैयारी के लिए कोयला खनन और समय घटाने के संबंध में निवेश के निर्णय लेने में संभावित निवेशकों को मदद कर सके। इस कदम से कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना केंद्रीय खान योजना और डिजायन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

6. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** कोयला खान पेंशन योजना 1998 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार कर्मचारी के वेतन का एक और दो तिहाई प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा योगदान करती है बशर्ते कि एक कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन रुपये से अधिक है। 1600/- प्रति माह, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान रुपये के वेतन पर देय अधिकतम राशि के बराबर होगा। केवल 1600/- प्रति माह। तदनुसार प्रावधान किया गया है।